

अधिसूचना संख्या 208/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1995(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधिसूचना एस.ओ. 2033(ई) दिनांक 6 अगस्त, 2009 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 3 पर "खेरवाड़ी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, परिश्रमालय बांद्रा (ई), मुंबई - 400051" द्वारा "युवा परिवर्तन - कम शिक्षित वंचित युवाओं के लिए दूसरा मौका बिजनेस स्कूल" को योग्य परियोजना के रूप में अनुमानित लागत रु 9.75 करोड़ पर वित्तीय वर्ष 2011-12 के साथ समाप्त होने वाले तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचित किया था और, जिसे *आगे* अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3145(ई) दिनांक 17.10.2013 द्वारा वित्त वर्ष 2012-2013 से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है।

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के छह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट है कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, - (क) इसके द्वारा, "युवा परिवर्तन - कम शिक्षित वंचित युवाओं के लिए दूसरा अवसर बिजनेस स्कूल - (पूरे भारत में 80 आउटरीच केन्द्र)" योजना या परियोजना को, जिसे "खेरवाड़ी समाज कल्याण संघ, परिश्रमालय बांद्रा (पूर्व), मुम्बई - 400 051" द्वारा, अनुमोदित लागत 9.75 करोड़ रुपये में किसी परिवर्तन के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, अधिसूचित करती है।

■ ■